अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2007

(आयकर)

का.आ. 2022(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष का बोर्ड एतद्द्वारा :—

(क) निदेश देता है कि उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में तदनुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट स्थान पर मुख्यालय वाला, इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट आयकर आयुक्त उक्त अधिनियम के अध्याय XII-ख और XVII-खख के अंतर्गत अधिकारों सहित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत स्वयं को सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करेगा और सभी आयों अथवा उसकी आय की श्रेणियों के संबंध में उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में तदनुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों के ऐसे मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों के संबंध में कार्य संपन्न करेगा;

(ख) इस अधिसूचना में उल्लिखित आयकर आयुक्त को उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में तदनुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट ऐसी आय अथवा आय की श्रेणियों अथवा ऐसे मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों के ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों के संबंध में अपर आयकर आयुक्तों अथवा संयुक्त आयकर आयुक्तों जो उसके अधीनस्थ हैं, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय XVII-ख और XVII-खख के अंतर्गत अधिकारों सहित अधिकारों के प्रयोग एवं कार्यों के निष्पादन के लिए लिखित में आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करता है ।

(ग) इस अधिसूचना के खंड (ख) में उल्लिखित अपर आयकर आयुक्तों अथवा संयुक्त आयकर आयुक्तों को भी उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में तदनुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों अथवा आय अथवा आय की श्रेणियों अथवा मामलों या मामलों की श्रेणियों के संबंध में, जिनके संबंध में इस अधिसूचना के खंड (ख) के अंतर्गत आयकर आयुक्त द्वारा ऐसे अपर आयकर आयुक्तों अथवा संयुक्त आयकर आयुक्तों को अधिकृत किया जाता है, कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा, जो उनके अधीनस्थ हैं, द्वारा अध्याय XVII-ख और XVII-खख के अंतर्गत अधिकार सहित अधिकारों का प्रयोग और कार्यों का निष्पादन करने के लिए लिखित में आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करता है ।

अनुसूची

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आयकर आयुक्त (बड़ी कर दाता इकाई), चेन्नई	चेन्नई	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 127 के अंतर्गत सौंपे गए सभी मामले और जो इस समय मुख्य आयकर आयुक्त चेन्नई-I और चेन्नई-II के क्षेत्राधिकार में हैं जिसमें बड़ी करदाता इकाई के लिए विकल्प चुनने हेतु सहमति पत्र दिया गया है और जिसमें वित्त वर्ष 2004-2005 में या किसी परवर्ती वित्त वर्ष में निम्नलिखित भुगतान किए गए हैं :

	(4)
	(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत नकद में या चालू खाता में पाँच करोड़ रुपए या इससे अधिक का उत्पाद शुल्क; अथवा (ख) सेवा कर नियमावली, 1994 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत नकद में या चालू खाता में पाँच करोड़ रुपए या इससे अधिक का सेवा कर; अथवा (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक का अग्रिम कर ।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

[अधिसूचना सं. 284/07 फा. सं. 187/17/2007-आ.क.नि.-I]

डॉ. जगदीप गोयल, निदेशक